

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ०प्र० लखनऊ ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
अलीगढ़, गोरखपुर, सन्तरविदासनगर, रायबरेली, वाराणसी, ज्योतिबाफूलेनगर,
रामपुर, मैनपुरी, पीलीभीत, महाराजगंज, चन्दौली, सहारनपुर, गोण्डा, उन्नाव,
कुशीनगर, बलरामपुर ।

पत्रांक-जी०ओ०- 54 /सम्प्रेक्षा/2010-11

लखनऊ:: दिनांक::31 मार्च, 2011

विषय-वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के अन्तर्गत स्वीकृत मात्राकृत धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,


समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-692/26-ब०प्र०-2010-01बजट/2010, दिनांक 18 अगस्त, 2010 एवं शासनादेश संख्या-71/26-ब०प्र०-2011-06बजट/2010, दिनांक 02 फरवरी, 2011 द्वारा अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के अन्तर्गत क्रमशः अवमुक्त रू० 250.00 करोड़ एवं रू० 100.00 करोड़ में से दैवीय आपदा आदि हेतु आरक्षित रू० 35,00,00,000 (रू० पैंतीस करोड़ मात्र) में से शासनादेश संख्या-594/38-4-11-01(बजट)/ 10टीसी, दिनांक 31 मार्च, 2011 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू० 871.20 (रू० आठ करोड़ इकहत्तर लाख बीस हजार मात्र) उक्त शासनादेश में उल्लिखित जनपदों द्वारा व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासन द्वारा दी गयी प्रदान की गयी स्वीकृति के क्रम में रू० 871.20 (रू० आठ करोड़ इकहत्तर लाख बीस हजार मात्र) संलग्नक के कालम-3 के अनुसार आपको आवंटित की जाती है।

आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

- 1- योजनान्तर्गत कतिपय जनपदों द्वारा समर्पण के फलस्वरूप इस आदेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि को सम्मिलित करते जनपद को अब तक आवंटित धनराशि का प्रगामी योग कोषाधिकारी एवं इस कार्यालय को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सूचित किया जाएगा।
- 2- आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय उक्त सन्दर्भित शासनादेशों में दिये गये शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जाएगा।
- 3- धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। आहरित धनराशि का बाउचर संख्या व दिनांक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग को सूचित किया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो इसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा।
- 4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-आवास योजना-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।
- 5- उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय नियंत्रण रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ-180 पर कर ली गयी है।

भवदीय
31/3/11
(सजीव कुमार)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।
२

- पत्रांक-जी0ओ0- 54 /सम्प्रेक्षा/2010-11 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद ।
 - 2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद ।
 - 3- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन ।
 - 4- सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन ।
 - 5- सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी ।
 - 6- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
 - 7- नियोजन अनुभाग-2/3, उ0प्र0 शासन ।
 - 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन ।
 - 9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन ।
 - 10- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/4, उ0प्र0 शासन ।


(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।
१


Annexure Of Letter No. G.O. 54 /Sampreksha/MAY/2010-11

Dated :31-3-2011

Annexure:: Release of funds under Mahamaya Awas Yojana (Natural calamities)

SL	DISTRICT	Number of shelterless families	Amount Being released (Lakh Rs.)
1	2	3	4
1	ALIGARH	245	110.25
2	GORAKHPUR	11	4.95
3	SANTRAVIDAS NAGAR	71	31.95
4	RAIBARELI	1	0.45
5	VARANASI	3	1.35
6	JYOTIBAPHULENAGAR	2	0.90
7	RAMPUR	170	76.50
8	MAINPURI	24	10.80
9	PILIBHIT	378	170.10
10	MAHARAJGANJ	43	19.35
11	CHANDAULI	30	13.50
12	SAHARANPUR	15	6.75
13	GONDA	161	72.45
14	UNNAO	528	237.60
15	KUSHINAGAR	32	14.40
16	BALRAMPUR	222	99.90
	Total	1936	871.20

(Rs. Eight crore seventy one lakh twenty thousand only)


(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ० प्र०।

प्रेषक,

रुद्र प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग- 4

लखनऊ:दिनांक- 31 मार्च, 2011

विषय- वित्तीय वर्ष-2010-11 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के अन्तर्गत स्वीकृत मात्राकृत धनराशि के व्यय/उपयोग करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-692/26-ब0प्र0-2010-01(बजट)/2010, दिनांक-18 अगस्त, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2010-11 के लिए अनुदान संख्या-83 में बजट प्राविधानित धनराशि रू0-250.00 करोड़ एवं प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से शासनादेश संख्या-71/26-ब0प0-2011-06(बजट)/2010, दिनांक-02 फरवरी, 2011 द्वारा रू0-100.00 करोड़ के धनराशि की दी गई वित्तीय स्वीकृति अर्थात् रू0-350.00 करोड़ की धनराशि में से आवंटित 10 प्रतिशत मात्राकृत धनराशि रू0-35.00 करोड़ में से अवशेष धनराशि रू0-12.1940 लाख में से बाढ़ से प्रभावित 1936 आवास विहीन परिवारों के लिए महामाया आवास हेतु नीचे दिये गये प्रारूप में उल्लिखित जनपदों के सम्मुख अंकित कुल रू0-871.200 लाख (रूपये आठ करोड़ इकहत्तर लाख बीस हजार मात्र)की धनराशि व्यय किए जाने के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	जनपद का नाम	आवास बिहीन परिवारों संख्या	अपेक्षित धनराशि (लाख रूपये में)
1-	अलीगढ़	245	110.25
2-	गोरखपुर सन्त	11	4.95
3-	रविदास नगर	71	31.95
4-	रायबरेली	01	0.450
5-	वाराणसी	03	1.350
6-	ज्योतिबाफूले नगर	02	0.900
7-	रामपुर	170	76.500
8-	मैनपुरी	24	10.800
9-	पीलीभीत	378	170.100

श्री एम प्रताप
31/3/11

10-	महाराजगंज	43	19.350
11-	चन्दौली	30	13.500
12-	सहारनपुर	15	6.750
13-	गोण्डा	161	72.45
14-	उन्नाव	528	237.60
15-	कुशीनगर	32	14.40
16-	बलरामपुर	222	99.90
		1936	योग- रू0- 871.200

उक्त स्वीकृति शासनादेश संख्या- 692/26- ब0प्र0- 2010-01 (बजट)/ 2010, दिनांक-18 अगस्त, 2010 में दिये गये शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत ही व्यय की जायेगी तथा उक्त शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि जनपद-अलीगढ़, गोरखपुर, सन्त रविदास नगर, रायबरेली, वाराणसी, ज्योतिबाफूले, नगर, रामपुर, मैनपुरी, पीलीभीत, महाराजगंज, सहारनपुर, गोण्डा, उन्नाव, बलरामपुर एवं कुशीनगर में दैवी आपदा से प्रभावित हुए आवास बिहीन परिवारों के लिए महामाया आवास पर ही व्यय किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। यदि अवशेष धनराशि बचती है तो उसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा।

भवदीय,

(रुद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव

संख्या-594(1)/38-4-11, तददिनांक-

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ0 प्र0 शासन।
- 4- संबंधित जिलाधिकारी।
- 5- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0 प्र0, लखनऊ।
- 6- संबंधित जनपद के कोषाधिकारी।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 / नियोजन अनुभाग-3 / रा0यो0आयोग-2।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(रुद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।